चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 03.03.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियो टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक-03.03.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी एलआईयू श्री नागेन्द्र भूषण पाण्डेय के मार्गदर्शन में एलआईयू उ0नि0 श्री शिवसागर तिवारी के नेतृत्व में डॉग स्क्वॉयड,एलआईयू की संयुक्त टीम द्वारा होली /पूर्णिमा पर्व के अवसर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत सम्पूर्ण रामघाट /रामघाट पर स्थित प्रमुख मठ मंदिरों /आस पास का एरिया में संयुक्त रूप से चेकिंग की गई कोई भी आपत्तिजनक वस्तु/पदार्थ प्रकाश में नहीं आया है।

(3).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 05 अभियुक्तों से 99 अदद क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।

(i). चौकी प्रभारी सीतापुर श्री यदुवीर सिंह मय हमराही आरक्षी अनुज यादव,आरक्षी नागेश थाना कोतवाली कर्वी द्वारा अभियुक्त दिलीप कुमार मिश्रा पुत्र राजबहादुर निवासी खुमानी पुरवा मजरा दहनी थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को एक थैले में 22 क्वार्टर देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). चौकी प्रभारी खोही श्री अरविन्द कुमार सिंह मय हमराही आरक्षी अभिषेक प्रताप ,आरक्षी आशीष कुशवाहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा अभियुक्त महेन्द्र कुशवाहा पुत्र रामप्रताप निबासी बिहारा थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट एक बोरी में 23 अदद क्वार्टर देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री योगेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराही मुख्य आरक्षी सौरभ,आरक्षी दीपक कुमार थाना पहाड़ी द्वारा अभियुक्त राजकुमार पुत्र माताबदल रैदास निवासी ग्राम सिकरिया थाना पहाडी जनपद चित्रकूट को एक झोले में 16 पाउच अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iv). उ0नि0 श्री सुरेश प्रताप सिंह मय हमराह आरक्षी हरिशरण थाना पहाड़ी द्वारा अभियुक्त करन कुमार पुत्र बोड्डा वर्मा निवासी प्रसिद्धपुर थाना पहाडी जनपद चित्रकूट को 17 पाउच अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(v). उ0नि0 श्री रामकरन मय हमराह आरक्षी आरक्षी अखिलेश तोमर थाना भरतकूप द्वारा अभियुक्त सुरेन्द्र पुत्र बुधविलास वर्मा निवासी रौली कल्यानपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 21 पाउच अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा व उनकी टीम द्वारा दहेज हत्या के नामजद आरोपी 02 अभियुक्त व 02 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों का नाम पता का विवरण-

1.अजय पुत्र गोरेलाल

2.गोरेलाल पुत्र सीताराम

3. देशरनिया पत्नी गोरेलाल

4. बिट्टी उर्फ प्रियांशू पुत्री गोरेलाल निवासीगण ग्राम लौरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 01/03/2026 वादी राजबहादुर पुत्र शिवपूजन सिंह निवासी ग्राम चितरागोकुलपुर थाना कर्वी चित्रकूट द्वारा थाना रैपुरा पर सूचना दी गयी कि उनकी पुत्री सीमा देवी की शादी दिनांक 14.06.2023 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार अजय पुत्र गोरेलाल निवासी ग्राम लौरी थाना रैपुरा जिला चित्रकूट के साथ हुई थी। अपनी हैसियत के अनुसार काफी दान दहेज दिया था और खर्चा किया था परन्तु पुत्री के ससुरालीजन पति अजय व सास दशरनिया ससुर गोरेलाल पुत्र सीताराम व ननद बिट्टी द्वारा दिये गये दान दहेज से संतुष्ट नही थे। पुत्री को कम दहेज मिलने का ताना मारने लगे और पुत्री के साथ मारपीट व गाली गलौज तथा प्रताडित करते थे। दिनाँक 16/2/26 को वादी कि पुत्री वादी के घर आयी थी उसने पुनः सारी बाते बतायी और यह भी बताया कि पति कह रहा है कि यदि अपने बाप से 1 चार पहिया गाड़ी नही दिलाओगी तो मैं तुमको मारकर फांसी मे लटका दूँगा। दिनांक 28/2/2026 समय 10.19 AM पर उसी के नम्बर से मोबाइल पर फोन आया कि आपकी लड़की इस दुनिया अब नही रही। पुत्री को उपरोक्त सभी लोग एक राय होकर उसको मारकर फाँसी के फन्दे पर लटका दिया। इस सूचना पर थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 47/26 धारा 85/80 (2)/115 (2)/352 बी0एन0एस0 व 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधि० पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी निरीक्षक रैपुरा को अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्दश दिए गए।

आज दिनाँक 03.03.2026 को मुखबिर खास की सूचना प्रभारी निरीक्षक मय उ0नि0 मय हमराही कर्मचारीगण द्वारा अजय के घर पर पास से तत्परता दिखाते हुये एक बारगी दबिस देकर उक्त व्यक्तियों को घेर घार कर आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछने हुये जामा तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति ने अजय पुत्र गोरेलाल ,दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम गोरेलाल पुत्र सीताराम ,तीसरे ने अपना नाम देशरनिया पत्नी गोरेलाल ,चौथे ने अपना नाम बिट्टी उर्फ प्रियांशू पुत्री गोरेलाल निवासीगण ग्राम लौरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी

2.का0 अशोक पाल

3.म0का0 निधि सेंगर

4.चालक का धर्मेन्द्र सिंह

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में कोतवाली कर्वी पुलिस टीम द्वारा नाबालिक बालिका से दुष्कर्म करने वाले मु0अ0सं0 109/2026 धारा 64(1),351(3) बीएनएस व 4 पॉक्सो व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के आरोपी अभियुक्त सतीश तिवारी पुत्र केता तिवारी को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1. उ0नि0 श्री विवेक कुमार सिंह

2. आरक्षी शुभम शर्मा